

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून पिन कोड-248195

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-09/2018-19/

दिनांक : /05/2018

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,

ग्राम पंचायत- रावत गाँव,

विकास खण्ड- प्रतापनगर,

जिला- टिहरी गढ़वाल

विषय : ग्राम पंचायत रावत गाँव, विकास खंड- प्रतापनगर, का वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग-2(ब) में 03 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (*Annual Technical Inspection Report*) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 2(ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में पेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-09/2018-19/

दिनांक: /05/2018 प्रतिलिपि

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित :

- 1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड़, आई0टी0पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून
- 2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) निदेशालय उत्तराखण्ड, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोड: 248005
- 3- जिला पंचायतराज अधिकारी टिहरी गढ़वाल,
- 4- खण्ड विकास अधिकारी प्रतापनगर,, जनपद- टिहरी गढ़वाल

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत रावत गाँव, (क्षेत्र पंचायत- प्रतापनगर, जनपद- टिहरी गढ़वाल के लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

भाग-1

ग्राम पंचायत, रावत गाँव, (क्षेत्र पंचायत- प्रतापनगर, जनपद - टिहरी गढ़वाल के वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखों की संप्रेक्षा श्री अशोक कुमार मीना, ले.प. द्वारा 08.05.2018 से को की गयी।

2. परिचय

- (अ) इस ग्राम पंचायत का यह **प्रथम निरीक्षण** था।
(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

I प्रधान

नाम

अवधि

(अ) श्रीमती राजी देवी

जुलाई 2014

II उप-प्रधान

नाम

सितम्बर 2014

(अ) श्री विजय पाल सिंह

भाग-2
अनुभाग 'अ'

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

-प्रथम निरीक्षण-

(ब) सतत् अनियमितताएं:-

-शून्य-

2. अनुदान

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

1- अनुदान पंजिका नहीं बनाये जाने के कारण उपभोग प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो सकी।

भाग-2
अनुभाग 'ब'

1. लेन-देनों का परिमाण

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

धनराशि (` में)

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 01.04.2014 को प्रारम्भिक शेष | ` 376939/- |
| जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां | ` 1420165/- |
| कुल प्राप्तियां | ` 1797104/- |
| घटायें:- वर्ष के दौरान व्यय | ` 126673/- |
| 31.03.2018 को अंतिम शेष | ` 580431/- |

2. रोकड़ शेष:

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है।

-----शून्य-----

| 3. समाधान विवरण | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| | | (धनराशि ` में) |
| रोकड़ बही के अनुसार शेष | : | ` 580431/- |
| जोड़े | : | |
| (i) | : | 0.00 |
| घटायें | : | |
| (i) | : | 0.00 |
| बैंक पासबुकों/विवरण के अनुसार शेष | : | ` 580431/- |

(ii) रोकड़ बही में अनियमितताएं

-----शून्य-----

4. आय व्ययक

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि ` 126673/-उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अनुसार अनाधिकृत है।

5. अग्रिम:

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेख:

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकायें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-रखाव नहीं किया गया था:-

लेखा पंजिकाओं/अभिलेखों का नाम

1- अग्रिम पंजिका

भाग-एक

(क) परिचयात्मक:- कार्यालय ग्राम पंचायत रावत गाँव, के लेखा -अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प. द्वारा दिनांक 08.05.2018 को संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थिति: **प्रथम निरीक्षण**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० प्रस्तर भाग-4 (अ) प्रस्तर भाग-4 (ब)

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

प्रतिवेदन संख्या वर्ष

भाग

प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:

भाग -3 (ग्राम पंचायत- रावत गाँव,2015-16)

| क्र.सं. | मद का नाम | पूर्व वर्ष का अवशेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | कुल प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान व्यय | अन्तिम अवशेष |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1 | केंद्रीय वित्त | 45000 | 102000 | 147000 | 130000 | 17000 |
| 2 | राज्य वित्त | 132484 | 38000 | 170484 | 15275 | 155209 |
| 3 | NRHM (स्वच्छता) | 555 | 0 | 555 | 0 | 555 |
| 4 | स्वजल | 198900 | 497695 | 696595 | 696595 | 0 |
| | कुल योग | 376939 | 637695 | 1014634 | 841870 | 172764 |

भाग -3 (ग्राम पंचायत- रावत गाँव, 2015-16)

| क्र.सं. | मद का नाम | पूर्व वर्ष का अवशेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | कुल प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान व्यय | अन्तिम अवशेष |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1 | केंद्रीय वित्त | 17000 | 194000 | 211000 | 1000 | 210000 |
| 2 | राज्य वित्त | 155209 | 69000 | 224209 | 87850 | 136359 |
| 3 | NRHM (स्वच्छता) | 555 | 470 | 1025 | 0 | 1025 |
| | कुल योग | 172764 | 263470 | 436234 | 88850 | 347384 |

भाग -3 (ग्राम पंचायत- रावत गाँव, 2015-16)

| क्र.सं. | मद का नाम | पूर्व वर्ष का अवशेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | कुल प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान व्यय | अन्तिम अवशेष |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1 | केंद्रीय वित्त | 210000 | 393000 | 603000 | 280000 | 323000 |
| 2 | राज्य वित्त | 136359 | 126000 | 262359 | 4928 | 257431 |
| 3 | NRHM (स्वच्छता) | 1025 | 0 | 1025 | 1025 | 0 |
| | कुल योग | 347384 | 519000 | 866384 | 285953 | 580431 |

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है ।

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है ।

(iii) इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-01- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित नवीन बजट तथा लेखा प्रारूपों पर लेखा तैयार नहीं किया जाना।

भारत के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के दिशा में सशक्त बनाने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु नवीन एवं सरलीकृत बजट तथा लेखा प्रारूपों को अपनाने हेतु निर्धारित किया गया था। जिसके तारतम्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या 619/XII /2005/82(06) 2004 दिनांक 26-7-2005 के द्वारा इन प्रारूपों को औपचारिक रूप से दिनांक 01-04-2005 से लागू किया गया था ।

ग्राम रावत गाँव, के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई के अभिलेखों में लेखांकन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखांकन का कार्य किया जा रहा है, किन्तु नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों में कार्य प्रशिक्षण के अभाव में अभिलेखों का लेखांकन किये जाने में कठिनाई हो रही है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 01-04-2005,को लागू किये जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन तिथि अंगीकार तक नहीं किया गया जिसके कारण अभिलेखों का रख रखाव अपूर्ण था।

अतः निर्धारित प्रारूपों को ग्राम पंचायत द्वारा लागू न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 02- संविधान के 73वें संशोधन के ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय में से मात्र 14 विषय का अपूर्ण हस्तान्तरण।

1992 में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं जिनमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, को स्वायत्तता (self governance) प्रदान की गई है। तदनुसार संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का हस्तान्तरण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को किया जाना है। वर्तमान निरीक्षण तक राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मात्र 14 विषय ही हस्तान्तरित किये गये हैं जो निम्नवत हैं।

1. पेयजल आपूर्ति
2. ग्रामीण आवास
3. गरीबी उन्मूलन
4. प्राथमिक शिक्षा
5. प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा
6. पुस्तकालय
7. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
8. परिवार कल्याण
9. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कार्यक्रम
10. महिला एवं बाल विकास
11. समाज कल्याण
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
13. लघु सिंचाई
14. कृषि तथा सम्बन्धित विभाग

उपरोक्त विषय उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये थे।

परन्तु ग्राम पंचायत **रावत गाँव**, की अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा मात्र 14 विषयों का शासनादेश निर्गत किया गया है। परन्तु इन 14 विषयों से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारी ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण 73वें संविधान संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन स्तर पर शासनादेश जारी किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत को पूर्ण दायित्व वास्तविक रूप से हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं।

अतः उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 3- ग्राम पंचायत द्वारा आय मे बढोतरी न किए जाने के कारण परफॉर्मंस ग्रांट से वंचित रहना ।

भारत सरकार के पत्रांक 13(32)FCC/FCD/2015-16 दिनांक 08-10-2015 के बिन्दु संख्या 13 मे ग्राम पंचायतों को परफॉर्मंस ग्रांट के संबंध मे निर्देशित किया गया है कि जो ग्राम पंचायते परफॉर्मंस ग्रांट चाहती हैं उनकी आय मे बढोतरी होनी चाहिये ।

(अ) ग्राम पंचायत को लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना होगा जो उस वर् से दो वर्ष से ज्यादा पुराने न हो, जिस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत परफॉर्मंस ग्रांट चाहती है।

(ब) ग्राम पंचायतों को उनके लेखापरीक्षित खातों में आय में वृद्धि दिखानी होगी।

ग्राम पंचायत रावत गाँव, के अभिलेखों कि जांच मे पाया गया कि पंचायत की आय मे बढोतरी के लिए प्रयास नहीं किए गए जिस कारण ग्राम पंचायत परफॉर्मंस ग्रांट से वंचित रही ।

इस विषय मे इंगित किए जाने पर इकाई ने बताया कि ग्राम पंचायत कि आय बढाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि आय-व्यय विवरणक के अनुसार ग्राम पंचायत की वर्तमान आय शून्य हैं।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-पाँच

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रावत गाँव, विकास खण्ड- - प्रतापनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्त के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून-248195 को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी /स्थानीय निकाय